रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 1998/ज्येष्ठ 25, 1920

No. 270] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 1998/JYAISTHA 25, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1998

का. आ. 509 (अ).—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रीगण (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम सं. 8) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के परन्तुक के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक (उप-राज्यपाल) द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

[सं. यू. 11013/4/97-यू. टी. एल.]

प्रदीप कौल जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1998

S. O. 509(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers of the Central Government under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act No. 8 of 1995) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant Governor) of the National Capital Territory of Delhi.

[No. U-11013/4/97-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.